XI गवर्नेंस, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधन के कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। रिज़र्व बैंक के वर्तमान पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के परामर्श से विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत दी है। एक व्यापक कार्यनीति फ्रेमवर्क अर्थात, रिज़र्व बैंक के मध्यावधि दृष्टिकोण और कार्यनीति को निर्धारित करने के लिए उत्कर्ष 2022 शुरू किया गया। बैंक द्वारा किए गए राजभाषा से संबंधित कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया ने रिज़र्व बैंक के हिन्दी जर्नल को

XI.1 यह अध्याय 2018-19 के दौरान गवर्नेंस, मानव संसाधन, जोखिम निगरानी और कॉर्पोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है तथा 2019-20 के लिए कार्ययोजना निर्धारित करता है। ये उपलब्धियां आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण, प्रोत्साहन योजनाएं और ई-लर्निंग मॉड्यूल, संगठन में कौशलपूर्ण कार्य की रिक्तियां भरने के लिए नयी प्रतिभाओं की भर्ती, नेतृत्व और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम जैसी नयी पहल और मध्य करिअर विकास कार्यक्रम तथा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति के माध्यम से कौशल उन्नयन द्वारा मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों से संबंधित है।

XI.2 रिज़र्व बैंक के जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा परिचालन में कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण पर महत्व दिया गया। उद्यम वार जोखिम प्रबंधन (इआरएम) फ्रेमवर्क के अंतर्गत वर्ष के दौरान जोखिम रिपोर्टिंग, जोखिम मॉडेलिंग और जोखिम विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) के मध्य कार्यालय तथा सूचना प्रौद्यौगिकी और साइबर जोखिम के लिए उत्तरदायी सुरक्षा अधिकारी को, तालमेल तथा बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंध विभाग (आरएमडी) के साथ जोड़ा गया। वित्तीय जोखिम की व्याप्ति तथा वेब आधारित जोखिम निगरानी के संदर्भ में जोखिम सहनीयता सीमा की समीक्षा की गयी तथा घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) कार्यान्वित की जा रही है। जनवरी 2019 से रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), प्रशिक्षण संस्थानों में लेखा परीक्षा प्रबंधन तथा जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में समवर्ती लेखा परीक्षा कार्य को लागू किए जाने से लेखा परीक्षा स्वचालन की प्रक्रिया को और गति मिलि।

XI.3 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैक के विजन मिशन तथा मूल उद्देश्य की व्यापक समीक्षा की गयी तथा मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज *"उत्कर्ष 2022"* बनाया गया। दिसंबर 2018 से अवरोध/ संकट के दौरान समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण परिचालन सुरक्षित रखने के लिए रिज़र्व बैंक में व्यापक कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रणाली लागू की गयी।

XI.4 राजभाषा अधिनियम 1963 के संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु वर्ष 2018-19 में राजभाषा विभाग ने हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की। परिसर विभाग ने रिज़र्व बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रख-रखाव और उन्नयन के लिए अपने प्रयास जारी रखे। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल ने (आईजीबीसी) अपनी नयी और विद्यमान भवनों को ग्रीन कंप्लायंट बनाने के लिए रिज़र्व बैंक को "ग्रीन चैंपियन अवॉर्ड" से सम्मानित किया।

XI.5 इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय को आगे दिए गए अनुसार संयोजित किया गया है। इसके तुरंत बाद आनेवाले भाग में रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे के बार में बताया गया है। वर्ष के दौरान मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) द्वारा की

गयी पहलों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 4 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए जोखिम प्रबंधन उपायों का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग की गतिविधियों के बारे में वर्णन किया है। रिज़र्व बैंक की कार्यनीति तथा वार्षिक कार्ययोजना का समन्वय और विकास करनेवाले कॉर्पोरेट नीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) के बारे में भाग 6 में बताया गया है। भाग 7 में कॉर्पोरेट सेवा विभाग के बारे में चर्चा की गयी है जो संगठन को आंतरिक सेवा देने में सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। राजभाषा विभाग तथा परिसर विभाग की गतिविधियां और उनकी उपलब्धियों के बारे में क्रमश: भाग 8 और 9 में वर्णन किया गया है। वर्ष के दौरान विभागों की उपलब्धियों के साथ-साथ इन विभागों ने वर्ष 2019-20 के लिए अपनी कार्ययोजनाएं भी निर्धारित की हैं।

2. गवर्नेंस फ्रेमवर्क

XI.6 रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे में निदेशक मंडल यह शीर्षस्थ समूह है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उपगवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक और सरकारी निदेशक आते है। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार स्थानीय बोर्ड है, जो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसरण में भारत सरकार (जीओआई) केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड में निदेशकों को नामित / नियुक्त करता है।

XI.7 केन्द्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केन्द्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बोर्ड में चार उप-समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)। इन उप-समितियों की अध्यक्षता मुख्यत: बाह्य निदेशक करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.8 जुलाई-जून 2018-19 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की छह बैठकें पटना, मुंबई (तीन बैठकें), नयी दिल्ली और चेन्नै में सम्पन्न हुई। भारत सरकार द्वारा अंतिम बजट प्रस्तुत करने के बाद भारत के वित्त मंत्री ने 8 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड को संबोधित किया।

XI.9 वर्ष के दौरान सीसीबी की 45 बैठकें हुईं जिनमें से 33 बैठकें इलेक्ट्रानिक माध्यम से आयोजित की गई। सीसीबी की बैठक में रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके मौजूदा कारोबार पर चर्चा की गई। सीसीबी बैठकों में बाह्य निदेशकों को बारी-बारी से आमंत्रित किया जाता है।

XI.10 वर्ष के दौरान पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने क्रमश: पांच,चार और तीन बैठकें आयोजित की तथा दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने एक बैठक आयोजित की।

XI.11 वर्ष 2014-15 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मुद्रा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों एवं जिन क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी हैं उन क्षेत्रों के अन्य मुद्दों की जांच करने हेतु केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का गठन किया गया था। वर्ष के दौरान उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए स्थायी समिति की प्रत्येकी एक बैठक आयोजित की।

निदेशकों की उपस्थिति

XI.12 केन्द्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता संबंधी विवरण अनुबंध (सारणी 1 से 4) में दिया गया हैं। स्थानीय बोर्ड की बैठकों में उपस्थित सदस्यों की प्रतिभागिता संबंधी विवरण अनुबंध सारणी 5 में दिया गया है।

केन्द्रीय बोर्ड/ स्थानीय बोर्ड : परिवर्तन

XI.13 केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल का त्यागपत्र स्वीकार किया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा

8(1)(ए) के तहत आर्थिक कार्य विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री शक्तिकांत दास को तीन वर्षों के लिए गवर्नर के रूप में नियुक्ति किया।

XI.14 दिनांक 26 जून 2019 को केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. विरल वी. आचार्य का 23 जुलाई 2019 से त्यागपत्र स्वीकार किया।

XI.15 केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2019 से श्री एन.एस. विश्वनाथन को रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 3 जुलाई 2020 या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक होगी।

XI.16 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1) (डी) के तहत 29 जुलाई 2019 से श्री सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में अगले आदेश तक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

XI.17 श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत 07 अगस्त 2018 से चार वर्षों की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया गया है।

XI.18 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत सुश्री रेवती अय्यर को चार वर्षों के लिए उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के तहत 19 सितंबर 2018 से चार वर्षों के लिए डॉ. नचिकेत एम. मोर के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया।

XI.19 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत प्रो सचिन चतुर्वेदी को चार वर्षों के लिए पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के तहत 19 सितंबर 2018 से डॉ. नचिकेत एम. मोर के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में चार वर्षों के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया।

XI.20 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2018 से श्री राघवेंद्र नारायण दुबे तथा श्री राकेश जैन को क्रमश: उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

XI.21 केंद्र सरकार ने पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से श्री नचिकेत मोर का 13 अक्तूबर 2018 से तथा दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से श्री राकेश जैन का 11 मार्च 2019 से त्यागपत्र स्वीकार किया।

कार्यपालक निदेशक – परिवर्तन

XI.22 श्री ए. के. मिश्रा, कार्यपालक निदेशक 31 जुलाई 2018 को सेवानिवृत्त हुए। श्री दिपक सिंहल, कार्यपालक निदेशक तथा श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक 31 जनवरी 2019 को सेवानिवृत्त हुए। श्रीमती रोज़मेरी सेबॅस्टियन और श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम को 14 अगस्त 2018 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री ई.ई.कार्थक तथा श्रीमती लिलि वडेरा को 1 फरवरी 2019 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। श्रीमती रोजमेरी सेबॅस्टियन, कार्यपालक निदेशक 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हुई। डॉ. रबि एन. मिश्रा को 14 जून 2019 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री इ. इ. कार्थक, कार्यपालक निदेशक 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए तथा श्रीमती सुरेखा मरांडी, कार्यपालक निदेशक, 31 जुलाई 2019 को सेवानिवृत्त हुई। श्रीमती नंदा एस. दवे तथा श्री अनिल कुमार शर्मा को क्रमश: 1 जुलाई 2019 तथा 1 अगस्त 2019 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में पदोन्नत किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में गवर्नेंस पर विचार विमर्श

XI.23 स्थानीय बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा करने के लिए 21 जनवरी 2019 को स्थानीय बोर्ड के सदस्यों की उप गवर्नर के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर केंद्रीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि स्थानीय बोर्ड रिज़र्व बैंक में एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस फ्रेमवर्क है

तथा अधिक अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु स्थानीय बोर्ड को दी जानेवाली जानकारी में सुधार किया जाना चाहिए।

XI.24 विभाग की कार्यनीति के भाग के रूप में आंतरिक वर्कफ्लो को स्वचालित बनाने तथा कागज के प्रयोग को कम करने के लिए केंद्रीय बोर्ड और उसकी समिति तथा रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन की सभी समितियों की सभी बैठकों के आयोजन के लिए एक साफ्टवेयर सोल्यूशन लागू किया गया है। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2019-20 के दौरान सभी चार स्थानीय बोर्डों की बैठकों को भी स्वचालित बना दिया जाए।

3. मानव संसाधन संबंधी पहलें

XI.25 व्यक्तिगत और संगठनात्मक उत्कृष्टता की खोज एक निरंतर प्रयास है। मानव संसाधन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन, मौजूद क्षमता का उपयोग करने तथा लर्निंग कर्व के साथ निरंतर गति के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी) रिज़र्व बैंक के मानव संसाधनों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.26 रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों की तकनीकी और व्यावहारिक कुशलताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल उन्नयन प्रदान करने का प्रयास करता है। बैंक के प्रशिक्षण संस्थान, यथा:आरबीआई अकादमी, रिज़र्व बैंक स्टाफ-कॉलेज (आरबीएससी), चेन्नै; कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे; और चार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नै इसकी प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाएं पूरा करते हैं (सारणी XI.1)।

बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण

XI.27 भारतीय रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करता है ताकि बाह्य संस्थाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ लिया जा सके। वर्ष 2018-19 के दौरान, बाह्य संस्थाओं में 952 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। वर्ष के दौरान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भारत में, बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 378 अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया था। (सारणी XI.2)।

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान – आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2016-17 (जुलाई-जून)		2017-18 (जुलाई-जून)		2018-19 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई एकेडमी	9	317 (20)	18	620 (24)	22	546 (38)
आरबीएससी, चेन्नई	129	3,346 (172)	147	3,583 (281)	152	3,125 (499)
सीएबी पुणे	173	5,788 (56)	184	6,448 (42)	179	5,542 (51)
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	101	1,934	115	2,271	116	2,227
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	104	2,130	100	2,109	76	1,877
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	33	758	36	802	46	1,158

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विदेशी और/ या बाह्य संस्थानों से संबंधित प्रतिभागियों के हैं।
स्रोत : आरबीआई

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2016 – 17	816	506
2017 – 18	1,041	410
2018 – 19	952	378

स्रोत : आरबीआई

अध्ययन छुट्टी योजना और स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप

XI.28 वर्ष के दौरान बैंक के 9 अधिकारियों ने विदेशों में उच्च शिक्षा योजनाओं (बैंक की स्वर्ण जयंती योजना के अतिरिक्त) का लाभ लिया। बैंक की प्रोत्साहन योजना के तहत चुनिंदा अंश-कालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में कुल 318 कर्मचारियों ने लाभ लिया। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप योजना के तहत 8 अधिकारी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा का लाभ लेने के लिए चुने गए।

अन्य पहलें

XI.29 अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए वर्ष के दौरान कई पहलें की गई। (बॉक्स XI.1).

बॉक्स XI.1

रिज़र्व बैंक में प्रशिक्षण और विकास: नयी पहलें

सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं:

i) नेतृत्व और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम (एलईईपी):

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने अधिकारियों को उचित अवसर प्रदान करने के दृष्टकोण से चुनिंदा प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों/विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित नेतृत्व और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम (एलईईपी) के लिए असाधारण कार्यनिष्पादन और नेतृत्व कौशल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले ग्रेड 'एफ' अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है। वर्ष 2018-19 के लिए चुने गए दस मुख्य महाप्रबंधको ने योजना के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश ले लिया है। वर्ष के दौरान चयन किए गए मुख्य महाप्रबंधकों ने व्हार्टन, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा अप्रैल-जून 2019 के दौरान शुरू होने वाले के पाठ्यक्रमों को चुना है।

ii) मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीएमटीपी):

रिज़र्व बैंक द्वारा मध्य प्रबंधन के लिए मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम – स्तर 1 शुरू किया गया। बैंक, ग्रेड 'सी' (एजीएम) अधिकारियों को जिन्होंने रिज़र्व बैंक में 10 साल और ग्रेड सी में कम से कम 3 साल पूरे किए हैं, रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उच्च जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार करना चाहता है। यह कार्यक्रम अगस्त 2018 से लगभग 80 अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था और तीन बैचों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पात्र ग्रेड ई (जीएम) अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम स्तर 2 विचाराधीन है।

iii) उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना - कौशल की कमी को पूरा करना

(ए) विभिन्न कौशल की कमी को पूरा करने के अपने निरंतर प्रयास में, रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों को उच्चतर और विशिष्ट शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। कर्मचारियों को नए और उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करने की अनुमति दी जाती है ताकि उन्हें रिज़र्व बैंक से संबंधित बाजार की गतिविधियों के बारे में जानकारी रहे। रिज़र्व बैंक में साइबर सुरक्षा और धन-शोधन निवारण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों सहित साइबर सुरक्षा और सुरक्षित बैंकिंग परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए सीएफए विनियामक छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव के लिए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) संस्थान के साथ गठबंधन किया है। इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने में कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए, सीएफए संस्थान ने रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर छात्रवृत्तियों को 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया है। प्रत्येक वर्ष प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या उपलब्ध छात्रवृत्तियों से अधिक होती है और शेष कर्मचारियों को सामान्य पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकरण करने की अनुमति दी जाती है। वर्ष के दौरान जून और दिसंबर 2019 में आयोजित होने वाली सीएफए परीक्षा देने के लिए कर्मचारियों से 103 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

संरचित ई-अध्ययन

XI.30 स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूह को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया है। बैंक के इंट्रानेट पर आरबीएससी, चेन्नै द्वारा 23 ई-अध्ययन मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि क्षमता विकास के लिए आईएमएफ संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम।

XI.31 बैंक की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप योजना के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान 158 विद्यार्थियों को चुना गया और उन्हें बैंक में इंटर्नशिप प्रदान की गई।

अनुदान और वृत्तिदान

XI.32 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान को ₹272.82 मिलियन; उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (सीएएफआरएएल), मुंबई को ₹105.3 मिलियन; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹10.70 मिलियन; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹8.76 मिलियन, और लंदन स्कूल ऑफ ईकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आई. जी. पटेल चेयर को ₹6.84 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.33 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में मोटे तौर पर औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। रिज़र्व बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों/स्टाफ-सदस्यों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण उपायों के विविध मामलों के संबंध में आवधिक बैठकें करना जारी रखा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती

XI.34 भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का चौथा संस्करण अक्तूबर 2018 में शुरू हुआ। यह प्रतियोगिता स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों के बीच मौद्रिक नीति निर्माण के बारे में ज्ञान वृद्धि करने के लिए तैयार की गई है। देश भर की शैक्षिक संस्थाओं से 300 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (उत्तर अंचल); सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मुंबई (पश्चिम अंचल); टी.ए. पै मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मणिपाल (दक्षिण अंचल); और जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर (पूर्वी अंचल) की टीम ने 22 अप्रैल, 2019 को केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय निर्णायक मुकाबले के लिए पात्रता हासिल की जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के छात्र विजयी हुए। विजेताओं को एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ-साथ एक ट्रॉफी दी जाती है और तीन महीने की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के साथ इंटर्नशिप करने का विकल्प भी दिया जाता है।

भर्ती और स्टाफ-संख्या

XI.35 वर्ष 2018 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने विविध संवर्गों में कुल 543 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

सारणी XI.3: 2018* में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती

भर्ती श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या						
	कुल	*जिसमें से*			कुल का प्रतिशत		
		अज	अजज	अपिव	अज	अजज	अपिव
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी I	152	19	11	44	12.50	7.24	28.95
श्रेणी III	27	-	-	6	-	-	22.22
श्रेणी IV							
(ए) कार्यालय सहायक	364	25	33	106	6.87	9.07	29.12
(बी) रखरखाव सहायक	-	-	-	-	-	-	-
(सी) अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**543**	**44**	**44**	**156**	**8.10**	**8.10**	**28.73**

*: जनवरी से दिसंबर 2018 -: शून्य.

स्रोत : आरबीआई

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			अज		अजज		अपिव		अज	अजज	अपिव
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,955	6,522	1,052	988	444	415	850	949	15.15	6.36	14.55
श्रेणी III	3,831	3,497	572	537	211	195	892	840	15.36	5.58	24.02
श्रेणी IV	3,999	3,774	1,190	1,027	328	321	573	635	27.21	8.51	16.83
कुल	**14,785**	**13,793**	**2,814**	**2,552**	**983**	**931**	**2,315**	**2,424**	**18.50**	**6.75**	**17.57**

*: दिसंबर अंत की स्थिति।
स्रोत : आरबीआई

XI.36 दिनांक 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पूर्व के 14,785 की तुलना में 13,793 थी जो 6.70 प्रतिशत घट दर्शाती है (सारणी XI.4)।

XI.37 रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 2018 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान प्रबंध-तंत्र और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच चार बैठकें संपन्न हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें आयोजित की गई।

XI.38 रिज़र्व बैंक में दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार भूत-पूर्व सैनिकों की कुल संख्या 921 है और दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 347 है (सारणी XI.5)। वर्ष के दौरान 52 भूत-पूर्व सैनिकों और 43 दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) की भर्ती की गई (सारणी XI.6)।

सारणी XI.5: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की कुल संख्या*

श्रेणी			दिव्यांग (अक्षम व्यक्ति)			
	कुल संख्या	भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थो-पेडिक दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी I	6,522	211	30	10	124	-
श्रेणी III	3,497	186	29	12	60	4
श्रेणी IV	3,774	524	10	8	60	-

*: 2018 के दिसंबर अंत की स्थिति -: शून्य
स्रोत : आरबीआई।

XI.39 दिनांक 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या 13012 है जिसमें 6,434 श्रेणी I, 3,075 श्रेणी III, 3,503 श्रेणी IV कर्मचारी शामिल हैं।

कर्मचारी कल्याण

XI.40 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए अपने निरंतर प्रयासों के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2018 में एक समान अवसर नीति तैयार की है। (बॉक्स XI.2)

सारणी XI.6: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की 2018* में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती

श्रेणी	दिव्यांग (अक्षम व्यक्ति)				
	भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थोपेडिक दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग (आईडी)
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	2	1	1	1	-
श्रेणी III	-	7	6	8	4
श्रेणी IV	50	7	2	6	-

*: जनवरी से दिसंबर -: शून्य
स्रोत : आरबीआई।

बॉक्स XI.2
समान अवसर नीति

दिव्यांगजन को प्रभावी ढंग से अपने कार्यालयीन कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए इस नीति में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी सहायता, बाधा-मुक्त प्रवेश, भर्ती के बाद और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलें, विशेष छुट्टी, आवास के आबंटन से संबंधित प्रावधान हैं। इस नीति में शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.41 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वर्ष 1998 से स्थापित किए गए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र को 2014-15 में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम एवं नियम, 2013 के अनुसरण में नए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर और मजबूत किया गया है। जनवरी – दिसंबर 2018 के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुई और उनका निवारण किया गया। स्टाफ को इन मामलों से सबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) में कर्मचारियों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। यौन उत्पीड़न के रोकथाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए कर्मचारियों, नव नियुक्त अधिकारियों, वेंडर और कॉन्ट्रक्ट कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न के रोकथाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। आरबीएससी, चेन्नै द्वारा रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में तैनात सलाहकारों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.42 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए 15,526 अनुरोध एवं 1,512 अपील प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम के विषय में आरबीएससी चेन्नै में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अधिवर्षिता लाभ

XI.43 रिज़र्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन अपडेशन के प्रस्ताव को भारत सरकार ने अनुमोदन दिया।

संगठनात्मक परिवर्तन

XI.44 भारतीय वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती विविधता, जटिलताओं और परस्पर संबंध के संदर्भ में और वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण और विनियमन को मजबूत करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक में एक विशेष पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग बनाने का निर्णय लिया गया है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

XI.45 रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2018 में मध्य प्रबंधन (ग्रेड 'सी') में पात्र अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

XI.46 अप्रैल 2019 में रिज़र्व बैंक ने उत्तराधिकार आयोजना पर एक सुपरिभाषित व्यापक नीति जारी की। एक औपचारिक उत्तराधिकारी प्रणाली स्थापित करना, विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण कार्यों के मामलें में जहां पर्याप्त प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक होता है, उत्तराधिकारी को कार्य सौंपना सुविधाजनक हो यह इसका उद्देश्य था।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.47 रिज़र्व बैंक कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य की समग्र रूप से देखभाल करने के प्रयोजन से एक "वेलनेस नीति" शुरू करना प्रस्तावित करता है। ग्रेड 'ई में पात्र अधिकारियों के लिए मध्य कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम - स्तर 2 (एमसीएमटीपी-II) की योजना शुरू की जाएगी। विशेषीकृत पर्यवेक्षी तथा विनियामकी संवर्ग के गठन के लिए आधारभूत कार्य शुरू किया जाएगा। आंतरिक प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि नियंत्रण और संतुलन के महत्व को कम किए बिना क्षमता का अधिकतम एवं प्रभावशाली

उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक के भीतर कागज-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित व्यापक एच आर इंटरफेस तरीका लाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

XI.48 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के निर्माण और परिचालन के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में जोखिम रिपोर्टिंग, जोखिम मॉडलिंग और जोखिम विश्लेषण निर्माण पर विभाग ने अपना ध्यान केंद्रित किया है।

आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क पर विशेषज्ञ समिति

XI.49 रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के परामर्श से एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डॉ. बिमल जालान) का गठन किया गया था। समितिने अपनी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक बैंक को प्रस्तुत कर दी हैं। जोखिम प्रावधानीकरण और अधिशेष वितरण से संबंधित प्रमुख सिफारिशें (बॉक्स XI.3) में दी गई हैं।

बॉक्स XI.3

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति-सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारिबैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2014-15 और 2015-16 के बीच एक उद्देश्यपूर्ण, नियम आधारित,पारदर्शी पद्धति के रूप में आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) विकसित किया है ताकि यथोचित स्तर के जोखिम प्रावधान किए जाने का निर्धारण किया जा सके। यह फ्रेमवर्क मालेगाम समिति की सिफारिशों के लगभग साथ-साथ क्रियान्वित किया गया जो तीन वर्ष की अवधि *अर्थात* 2013-14 से 2015-16 तक के लिए वैध थीं। भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 19 नवंबर,2018 को आयोजित बैठक के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से भूतपूर्व गवर्नर डॉ बिमल जालान की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान ईसीएफ की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। डॉ राकेश मोहन,भूतपूर्व उप गर्वनर समिति के उपाध्यक्ष थे और श्री भरत दोशी,केंद्रीय बोर्ड निदेशक, श्री सुधीर मांकड, केंद्रीय बोर्ड निदेशक, श्री सुभाष चंद्र गर्ग, वित्त सचिव, भारत सरकार और श्री एन.एस. विश्वनाथन,उप गर्वनर समिति के सदस्य थे। श्री गर्ग के स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव,भारत सरकार को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

समिति इस बात से पूरी तरह सहमत थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक, वित्तीय और बाह्य स्थिरता बनाए रखने का प्राथमिक प्रतिरक्षक है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की समुत्थानशीलता उसकी लोक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हो और उसका स्तर उसके समकक्ष केंद्रीय बैंकों के स्तर से ऊपर हो, क्योंकि विश्व की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक से इसकी आशा भी की जाती है।

समिति की सिफारिशें केंद्रीय बैंक की भूमिका, वित्तीय समुत्थानशीलता, सीमापार-राष्ट्रों की प्रथाएँ, सांविधिक प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक का लोक नीति अधिदेश और इसके तुलन पत्र के परिचालनगत परिवेश एवं निहित जोखिम की मान्यताओं पर आधारित हैं। समिति का निष्कर्ष यह है कि केंद्रीय बैंकों में, उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों में अत्यधिक अंतर, उनके परिचालनगत परिवेश, सरकार के साथ उनके वित्तीय संबंध तथा उनके लेखांकन ढांचे को देखते हुए केंद्रीय बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई जोखिम पूंजी फ्रेमवर्क निर्धारित नहीं है। अतः केंद्रीय बैंक अपनी स्वयं की विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जोखिम प्रबंधन/पूंजी फ्रेमवर्क विकसित करते हैं और उसका अनुकूलन करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने से केवल वैश्विक प्रवृत्तियों और अनुमानों का ही पता लगाया जा सकेगा न कि सामान्य तौर पर सहमत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का।

समिति की जोखिम प्रावधानीकरण और अधिशेष संवितरण के संबंध में प्रमुख सिफारिशें

भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी: समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरक्षित विभिन्न प्रकार की आरक्षित राशियों, जोखिम प्रावधानों एवं जोखिम बफर की स्थिति,आवश्यकता और उसके औचित्य की समीक्षा की और यह सिफारिश की कि उन्हें जारी रखा जाए। समिति द्वारा आर्थिक पूंजी के दो घटकों (विमोचित इक्विटी और पूनर्मूल्यन शेष) के बीच स्पष्ट अंतर रखने की भी सिफारिश की गई है, क्योंकि विमोचित इक्विटी का इस्तेमाल सभी प्रकार के जोखिमों/हानियों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए कि ये मुख्यतया प्रतिधारित उपार्जन से पैदा होते हैं, जबकि पुनर्मूल्यन शेष की गणना बाजार जोखिमों की तुलना में मात्र जोखिम बफर के रूप में की जा सकती है क्योंकि वे अप्राप्य मूल्यांकन लाभ को दर्शाते हैं और इसलिए वितरण योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त,उनमें केवल एक तरफा प्रतिमोच्यता है जिसका आशय यह है कि यदि पुनर्मूल्यन शेष की तुलना में बाजार जोखिम प्रावधानीकरण की

(जारी...)

आवश्यकता में कोई कमी होती है तो उसे निवल आय में बढ़ाकर किए गए जोखिम प्रावधानीकरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, वहीं इसके विपरीत अर्थात अन्य जोखिमों हेतु किए गए प्रावधान की कमी को पूरा करने के लिए बाजार जोखिम प्रावधानीकरण की आवश्यकता की तुलना में पुनर्मूल्यन शेष की अधिशेष राशि के उपयोग की अनुमति नहीं है। समिति यह सिफारिश करती है कि इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के देयता पक्ष में की गई प्रस्तुतियों को संशोधित किया जाए।

बाजार जोखिम हेतु जोखिम प्रावधानीकरण: समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के बाजार जोखिम को मापने के लिए दबाव की स्थिति में प्रत्याशित न्यूनता (ईएस) पद्धति (वर्तमान दबावग्रस्त-जोखिम पर मूल्य) को अपनाया जाए जिसके बारे में हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच परस्पर सहमति बढ़ती जा रही थी। जहाँ यह देखा गया है कि केंद्रीय बैंक ईएस, 99 प्रतिशत विश्वसनीयता स्तर (सीएल) पर अपना रहे हैं, वही समिति ने समष्टि-आर्थिक स्थिरता अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ईएस 99.5 प्रतिशत सीएल के लक्ष्य को अपनाने की सिफारिश की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पुनर्मूल्यन शेष की चक्रीय अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए 97.5 प्रतिशत सीएल की अधोमुखी जोखिम सहन-सीमा (आरटीएल) को भी जोड़ा गया है। समिति द्वारा उनकी पर्याप्तता हेतु दोनों स्तरों पर दबाव-परीक्षण किया गया है।

विमोचित इक्विटी का आकार: समिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक, वित्तीय एवं बाह्य स्थिरता संबंधी जोखिम के लिए किया गया प्रावधान 'मुश्किल दिनों' (मौद्रिक/वित्तीय स्थिरता संकट) में देश की बचत के रूप में काम आता है, जो रिज़र्व बैंक के पास मौद्रिक प्राधिकारी एवं अंतिम उपाय ऋणदाता की भूमिका की दृष्टि से सजग रूप से रखा गया है। विमोचित इक्विटी, ऋण जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम के लिहाज से भी आवश्यक होती है। जोखिम संबंधी इन प्रावधानों को संचयी आधार पर आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) के रूप में जाना जाता है, जो प्रमुख रूप से प्रतिधारित अर्जन से होता है और यह सिफ़ारिश की गई है कि उसे रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के 6.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत के बीच रखा जाए, जिसमें मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम के लिए 5.5 से 4.5 प्रतिशत तथा ऋण एवं परिचालनगत जोखिम के लिए 1.0 प्रतिशत निर्धारित है। साथ ही, बाजार जोखिम की तुलना में पुनर्मूल्यन राशियों में कोई कमी होने की दशा में प्राप्त इक्विटी की आवश्यकता में आरटीएल जुड़ जाएगा। समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि फोरेक्स पोर्टफोलियो के संकेद्रण जोखिम के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के बाजार-ऋण जोखिम का संयुक्त रूप से आकलन करने के लिए कार्यप्रणालियां विकसित की जाएं।

अधिशेष संवितरण नीति: समिति ने अधिशेष संवितरण नीति की सिफ़ारिश की है जिसमें रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने योग्य विमोचित इक्विटी के स्तर को लक्ष्य बनाया गया है, जो उसकी पिछली नीति, जिसका लक्ष्य कुल आर्थिक पूंजी स्तर मात्र था, की तुलना में आर्थिक पूंजी के संपूर्ण स्तर के अंदर हो। केवल, यदि प्राप्त इक्विटी आवश्यकता से अधिक होती है तो क्या समग्र निवल आय सरकार को अंतरणीय होगी। यदि वह आवश्यकता के लोअर बाउंड के नीचे है, तो जोखिम के संबंध में जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान किया जाएगा तथा केवल अवशिष्ट निवल आय (यदि कोई) ही सरकार को अंतरित की जाएगी। केंद्रीय बोर्ड सीआरबी के दायरे के अंदर जोखिम के प्रावधान के स्तर का निर्णय करेगा, अर्थात तुलन पत्र का 6.5 से 5.5 प्रतिशत।

अन्य टिप्पणियाँ/ सिफारिशें

रिज़र्व बैंक पूंजी की अवसर लागत: समिति ने यह स्वीकार किया कि रिज़र्व बैंक की पूंजी की अवसर लागत न्यूनतम है क्योंकि इसकी विमोचित इक्विटी के बदले धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के प्रमुख भाग को अधिशेष अंतरण के एक अंश के तौर पर सरकार को लौटा दिया जाता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र की संघटना और आकार का निर्धारण लोक नीति प्रतिलाभों से किया जाता और इसकी सहनशीलता अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बाह्य-कारकों का सृजन करती है।

रिज़र्व बैंक के वित्तीय वर्ष और सरकार के राजकोषीय वर्ष और अंतरिम लाभांश का संरेखण: समिति ने सिफारिश की है कि रिज़र्व बैंक के वित्तीय वर्ष का संरेखण सरकार के राजकोषीय वर्ष के साथ कर दिया जाए ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने किए जाने वाले विभिन्न अनुमानों और प्रकाशनों में अधिकाधिक सामंजस्य हो सके। इसके अलावा, आगामी वर्षों में सरकार को लाभांश का भुगतान अपवादस्वरूप परिस्थितियों में किया जाए।

फ्रेमवर्क की समीक्षा: समिति ने सिफारिश की है कि इस फ्रेमवर्क की आवधिक समीक्षा प्रत्येक पांचवें वर्ष की अवधि पर की जाए। इसके बावजूद, यदि रिज़र्व बैंक के जोखिमों और परिचालन परिवेश में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता हो, तो मध्यावधि समीक्षा की जाए।

समिति की सिफारिशों को लागू करना

केंद्रीय बोर्ड ने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक के लेखा को जोखिम प्रावधान करने और अधिशेष अंतरण को निर्धारित करने के लिए संशोधित व्यवस्था का प्रयोग करते हुए अंतिम रूप दे दिया है। इस निर्णय के निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(i) विमोचित इक्विटी: यह देखते हुए कि उपलब्ध विमोचित इक्विटी तुलन-पत्र के 6.8 प्रतिशत पर रही, जबकि समिति की सिफारिश के अनुसार अपेक्षा 6.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत थी, सीआरबी की उच्चतर सीमा पर जोखिम प्रावधान के आधिक्य से ₹11,608 करोड़ की सीमा तक और सीआरबी की न्यूनतम सीमा ₹52,637 करोड़ थी। केंद्रीय बोर्ड ने विमोचित इक्विटी को तुलनपत्र के 5.5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय किया और इसके परिणामस्वरूप हुआ ₹52,637 करोड़ के बेशी जोखिम प्रावधान जिसका प्रतिलेखन किया गया।

(जारी...)

(ii) आर्थिक पूंजी स्तर: यद्यपि संशोधित फ्रेमवर्क तकनीकी रूप से रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी स्तरों को 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के 24.5 प्रतिशत से 20.0 प्रतिशत के दायरे में रखेगा (यह विमोचित इक्विटी के बरकरार स्तर और पुनर्मूल्यांकन की शेष राशियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है), 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार आर्थिक पूंजी तुलन-पत्र के 23.3 प्रतिशत पर रही। वित्तीय सहनशीलता अपेक्षित दायरे में थी, इसलिए वर्ष 2018-19 हेतु ₹1,23,414 करोड़ की समग्र निवल आय भारत सरकार को अंतरित की जाएगी, जिसमें से ₹28,000 करोड़ की रकम अंतरिम लाभांश के तौर पर पहले ही दी जा चुकी है। यह रकम ₹52,637 करोड़ के जोखिम प्रावधान आधिक्य के अलावा है जिसे प्रतिलिखित किया जा चुका है और परिणामस्वरूप सरकार को अंतरित की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऐसे केंद्रीय बैंकों में से एक है जिनकी वित्तीय समुत्थान शीलता उच्चतम स्तर पर है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

विदेशी मुद्रा भंडार, आईटी और साइबर जोखिम के जोखिम प्रबंधन का एकीकरण

XI.50 रिज़र्व बैंक में जोखिम से संबंधित कार्य पूरी तरह से विकसित होने के साथ, विदेशी मुद्रा भंडार जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) का मध्य कार्यालय और आईटी तथा साइबर जोखिमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारी को तालमेल और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आरएमडी के साथ एकीकृत किया गया।

जोखिम सहनीयता फ्रेमवर्क

XI.51 वित्तीय जोखिमों से रिज़र्व बैंक का बचाव करने के लिए डीईआईओ और एफएमओडी में जोखिम सहनीयता फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए शुरु की गयी प्रायोगिक परियोजना के पर्यवेक्षण हेतु आंतरिक समिति का गठन किया गया। समिति ने आंतरिक जोखिम सहनीयता के प्रति रुझान के अनुरूप इन कारोबारी क्षेत्रों में मौजूदा जोखिम सहनीयता सीमा की समीक्षा की। परिचालनात्मक जोखिमों के लिए, पहचान की गई 'उच्च' और 'महत्वपूर्ण' जोखिम प्रक्रियाओं के लिए संबंधित कारोबारी क्षेत्रों द्वारा कार्ययोजनाएं तैयार की गई थीं।

वेब आधारित एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस)

XI.52 सभी घटनाओं और जोखिमों को रिपोर्ट करने, प्रबंधन करने और ट्रैक करने के लिए एक उद्यम उपाय वेब-आधारित स्व-सेवा पोर्टल, एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) कार्यान्वित की जा रही है। यह प्रणाली घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर की प्रक्रिया से दर्शाए गए जोखिमों को कोड प्रदान करेगी। इसके बाद पहचान किए गए जोखिम क्षेत्रों पर जोखिम डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे शीर्ष प्रबंधन को जोखिम रिपोर्टिंग में सुधार होगा।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

रिज़र्व बैंक में क्रेडिट जोखिम तथा परिचालन जोखिम का मॉडल तैयार करना

XI.53 समग्र क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम का आकलन करने के लिए मॉडल विकसित करने हेतु रिज़र्व बैंक में आंतरिक समितियां गठित की गई हैं। क्रेडिट जोखिम की मात्रा निर्धारित करने के लिए आंतरिक समितियों ने विभिन्न मॉडलों की उपयोगिता की जांच की गयी जबकि परिचालन जोखिम मूल्यांकन के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण की उपयोगिता की जांच की गयी।

जोखिम रिपोर्टिंग के लिए जोखिम डैशबोर्ड

XI.54 शीर्ष प्रबंधन को जोखिम रिपोर्टिंग में सुधार करने के उद्देश्य से, बेहतर जोखिम निगरानी के लिए 2019-20 के दौरान महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों के लिए डैशबोर्ड तैयार किए जाएंगे।

5. रिज़र्व बैक में आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण

XI.55 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और गवर्नेंस प्रक्रियाओं का परीक्षण, मूल्यांकन करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है तथा शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के तहत जोखिम से निपटने काआश्वासन प्रदान करता है।

विभाग केंद्रीय बोर्ड के लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करने वाले कार्यपालक निदेशकों की समिति (इडीसी) के लिए भी सचिवालय का कार्य करता है। विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) प्रणाली और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा(सीएसएए) के कामकाज पर भी निगरानी रखता है। सीएसएए के स्वचालन से प्रसंस्करण और अनुपालन प्रस्तुत करने में सुविधा होगी, जिसके परिणामस्वरूप विश्लेषण और कुशल निगरानी के लिए सूचना संग्रहण से जानकारी प्राप्त करना आसान होने के साथ-साथ बेहतर जोखिम प्रबंधन होगा (बॉक्स XI.4)।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.56 जनवरी 2019 से रिज़र्व बैंक में सभी केंद्रीय कार्यालय विभाग / क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों में लेखा परीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) से समवर्ती लेखा परीक्षा कार्य लागू करने से विभिन्न लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वचालन की प्रक्रिया सक्रिय हुई। एएमआरएमएस का मुख्य कार्य अर्थात, आरबीआईए पहले से ही सक्रिय है और रिज़र्व बैंक में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एएमआरएमएस के सीएसएए कार्य का विकास पूर्ण हो गया है तथा उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में

बॉक्स XI.4

परिचालन जोखिम प्रबंधन: स्व-मूल्यांकन का महत्व

नियंत्रित स्व-मूल्यांकन (सीएसए) परिचालन, जोखिम प्रबंधन में सुरक्षा के पहले उपाय के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से सभी व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा किए जाने के उचित आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजन से आंतरिक नियंत्रण प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है।

सीएसए की अवधारणा गल्फ कनाडा (एक तेल कंपनी) के लिए 1987 में ब्रूस मैक क्यूऐग द्वारा विकसित की गयी थी। इसकी कार्यप्रणाली अब विकसित हो गयी है और बड़े पैमाने पर युएस, यूरोपीय संघ और अन्य देशों में बैंकिंग क्षेत्र सहित उद्योग भर में इसका प्रयोग किया जा रहा हैं। सीएसए के लिए आमतौर पर तीन दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा रहा हैं,बैठकें करना, प्रश्नावली का उपयोग तथा प्रबंधन जनित विश्लेषण। सीएसए कारोबारी इकाइयों में ऑपरेटिंग स्टाफ द्वारा स्वयं आयोजित किया जाता है, जिसे रक्षा का पहला उपाय भी कहा जाता है।

नियंत्रित स्व मूल्यांकन प्रक्रिया:

- संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आंतरिक नियंत्रण की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाकर एक संगठन के आंतरिक नियंत्रण वातावरण में सुधार करता है;
- नियंत्रण, और प्रबलित गवर्नेंस व्यवस्था के लिए जवाबदेही की एक स्पष्ट रेखा बनाता है, जो कारोबारी संचालन (प्रबंधन और परिचालन स्टाफ दोनों द्वारा) की बेहतर समझ देता है;
- कर्मचारियों को नियंत्रण प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए और परिचालन नियंत्रण प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करता है ;
- अपनी व्याप्ति का विस्तार करते हुए निगरानी गतिविधियों की लागत को कम करने में प्रबंधन की सहायता करता है; तथा
- जोखिम और नियंत्रण के बारे में प्रासंगिक जानकारी जुटाने में आंतरिक लेखा परीक्षकों की सहायता करता है; उच्च जोखिम और असामान्य क्षेत्रों पर लेखा परीक्षा के कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, और परिचालन प्रबंधकों और कार्य समूहों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करता है

रिज़र्व बैंक में 1999 में सीएसए लेखा परीक्षा शुरू की गई थी और यह छमाही अंतराल पर आयोजित की जाती है। कार्यालय स्तर पर ही निवारक और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और केन्द्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा उप-समिति को सूचित किया जाता है और केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर अति स्थूल स्तर की निगरानी की जाती है।

संदर्भ:

1. फेडरल रिज़र्व बैंक न्यूयॉर्क में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन: श्री जोशुआ रोजेनबर्ग, कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा फेडरल रिज़र्व बैंक न्यूयॉर्क के मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा 15 मार्च 2016 को, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित 18 वें एनुअल ऑपरिस्क नार्थ अमेरिका 2016 कॉन्फ्रेन्स में की गयी टिप्पणी
2. व्यावसायिक आचरण पुस्तिका 98-2 ए, नियंत्रण स्व मूल्यांकन लेखा परीक्षा का दृष्टिकोण (इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर: अलमांटे, फ्लोरिडा, 1998(
3. नियंत्रण स्व-मूल्यांकन - सीजीआईएआर इंटरनल ऑडिट युनिट (जुलाई 2017) द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर नोट।

सफल उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण और व्यापक उपयोगकर्ता जागरूकता प्रशिक्षण के बाद अक्तूबर 2019 के अंत तक इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू करने की आशा है। विभाग द्वारा नियंत्रित रिज़र्व बैंक की आईटी संपत्तियों का जोखिम मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीए-पीटी) अभ्यास, अब जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। परियोजना जोखिम के प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक में परियोजना लेखा परीक्षा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.57 एएमआरएमएस एप्लिकेशन में आरबीआईए, सीए और सीएसएए कार्यों के सफल कार्यान्वयन के बाद शीर्ष प्रबंध तंत्र को प्रभावी आश्वासन देने के लिए उसके लाभों को डाटा माइनिंग, एनालिटिक्स और एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से लिवरेज करते हुए, विभाग पूरे रिज़र्व बैंक में ज्ञान और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। आरबीआईए टिप्पणियों के अनुपालन की गुणवत्ता, पर्याप्तता और निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए, कुछ चुनिंदा कार्यालयों की अनुपालन लेखा परीक्षा की जाएगी। तैयार किए गए नए परियोजना लेखा परीक्षा दिशानिर्देश संपूर्ण रिज़र्व बैंक में लागू किए जाएंगे। वर्ष के दौरान आरबीआईए के लिए अपनाई गई जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग पद्धति की भी समीक्षा की जाएगी। विभाग का यह प्रयास होगा कि वह परिचालनगत जोखिम हेतु जोखिम मूल्यांकन पद्धति (आरएएम-ओआर) और आरबीआईए से संबंधित निरीक्षण विभाग पद्धति के अनुसार जोखिम-रेटिंग का 80 प्रतिशत कन्वर्जेंस प्राप्त करे।

6. कॉर्पोरेट नीति और बजट प्रबंधन विभाग

XI.58 कॉर्पोरेट नीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक के लिए समन्वयन का कार्य करता है और कार्यनीति एवं वार्षिक कार्ययोजना का और विकास करता है; गतिविधि-आधारित बजटिंग को अपनाते हुए अपना वार्षिक बजट तैयार करता है; और कारोबारी निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) के माध्यम से संस्था के कारोबारी निरंतरता प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए बाह्य वित्त पोषित संस्थानों (ईएफआई) के कामकाज की देखरेख करता है कि वे एक प्रभावी और कुशल तरीके से कार्य कर रहे हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.59 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के वर्तमान कार्यनीतिगत ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई, और 2019-2022 की अवधि के लिए 'उत्कर्ष 2022' नामक एक मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज तैयार किया गया तथा नई दिल्ली में 08 जुलाई 2019 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में केंद्रीय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने पर अब इसे जारी किया गया है (बॉक्स XI.5)।

XI.60 वर्ष के दौरान, गवर्निंग बोर्ड तथा उनकी बाह्य वित्तपोषित संस्था की उप-समितियों की बैठके सुचारू रूप से आयोजित की गयी। भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) के निदेशक की चयन प्रक्रिया तथा उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (सीएएफएआरएएल), इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान (आईजीआईडीआर), आईआईबीएम के लिए समीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी आदि अन्य गतिविधियां की गयी। इसके अलावा, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के कार्यनिष्पादन और भविष्य की योजनाओं के विकास का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया।

XI.61 ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में टियर 3 कार्यालय खोलने के लिए सैद्धांतिक अनुमति दी गयी।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.62 वर्ष 2019-20 के लिए बजट तैयार करते समय केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) में कार्यनीति कार्यबिंदु एवं उनके बजटों के बीच लिंकेज स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यनीति और बजट दोनों के संदर्भ में लक्ष्यों और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों के बीच की दूरी को कम करने के लिए

बॉक्स XI.5

उत्कर्ष 2022 – रिज़र्व बैंक की मध्यावधि कार्यनीति

कार्यनीति प्रबंधन आरबीआई में हमेशा गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण उपाय रहा है, इसलिए रिज़र्व बैंक के मूल उद्देश्य, मूल्यों और विजन वक्तव्य को पुन: स्पष्ट करने के लिए अप्रैल 2015 में एक कार्यनीतिक प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया था ताकि समकालीन संदर्भों में अपने कार्यनीतिगत उद्देश्यों को चित्रित करते हुए एक फ्रेमवर्क तथा पृष्ठभूमि प्रदान की जा सके जिसके अनुसार तथा समक्ष उसकी नीतियां तैयार की जांएगी। ये मुख्य उद्देश्य (देश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं) और मूल्य (सार्वजनिक हित, अखंडता और स्वतंत्रता, जवाबदेही और नवीनता, विविधता और विशिष्टता, और आत्मनिरीक्षण और उत्कृष्टता की खोज) अभी भी प्रासंगिक और वैध है; तथापि एक ऐसे मध्यावधि गतिशील विजन वक्तव्य की आवश्यकता महसूस हो रही है जिसमें हम जिस आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी परिवेश में कार्य कर रहे हैं उसमें उभरने वाली चुनौतियों तथा अत्यधिक तेज परिवर्तनों के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित किया गया हो।'उत्कर्ष 2022', भारतीय रिज़र्व बैंक का मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क विकसित होनेवाले व्यापक आर्थिक परिवेश के अनुरूप है। किसी संगठन का कार्यनीति फ्रेमवर्क उसे अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम बनाता है ताकि वह आगे के अवसरों का लाभ उठा सके।

बैंक के शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय कार्यालय विभागों की सक्रिय सहभागिता के साथ टॉप-डाउन दृष्टिकोण में 'उत्कर्ष 2022' तैयार किया गया है। इसकी रूपरेखा में, अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के मिशन, इसकी स्थापना के उद्देश्यों जिनमें इसके सभी हितधारकों का विश्वास हो, संशोधित प्रमुख उद्देश्य, मूल्य और विजन वक्तव्य, राष्ट्र के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता का पुनर्कथन भी शामिल हैं।

मध्यावधि विजन वक्तव्य में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैं:

विजन 1: सांविधिक एवं अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता

विजन 2: नागरिकों एवं अन्य संस्थाओं का रिज़र्व बैंक में दृढ़ विश्वास

विजन 3: राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व

विजन 4: पारदर्शी, जवाबदेह एवं आचारनीति संचालित आंतरिक अभिशासन

विजन 5: सर्वोत्कृष्ट व पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

विजन 6: नवोन्मेषी, गतिशील एवं कुशल मानव संसाधन

ये विजन वक्तव्य परस्पर पूरक हैं और विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से मध्यावधि (2019-22) के दौरान रिज़र्व बैंक का संचालन चलाएंगे। ये कार्यनीतियां उभरते अवसरों का फायदा उठाने और रिज़र्व बैंक हित के लिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के प्रयोजन से अच्छी तरह से सोची-समझी कार्रवाई है।

निम्नलिखित फ्लो चार्ट में दिखाए गए अनुसार एक या अधिक मूर्त और समयबद्ध उपलब्धि से वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जाएगा:

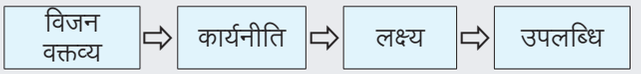

बैंक का शीर्ष प्रबंधन केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति के माध्यम से 'उत्कर्ष 2022' के कार्यान्वयन और प्रगति की समय-समय पर निगरानी करेगा।

आंतरिक नियंत्रण कार्य विकसित करना यह निरंतर प्रक्रिया है। साथ ही इससे वार्षिक कार्यनीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता भी बढती है।

XI.63 कार्यनीति कार्यान्वयन की शीर्ष स्तर की निगरानी के लिए, एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जो कार्यनीति लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर प्रारंभिक चेतावनी भी देगा।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अभ्यास

XI.64 एक संगठन में आंतरिक गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय नियंत्रण कार्यों को स्थापित किया जाता है ताकि बजट और व्यय प्रक्रियाओं से अंततः संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें।

XI.65 रिज़र्व बैंक में निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण किया जाता है:

ए. **व्यय नियमावली 2018:** रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने विस्तृत व्यय नियमों (ईआर) को निर्धारित किया है, जिसमें विभिन्न व्यय को दो प्रमुख बजट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात पूंजी और राजस्व। इन नियमों के अंतर्गत व्यय करने के लिए विभिन्न संस्वीकृति और अनुमोदन देने वाले विभिन्न प्राधिकारी निर्धारित

किये हैं। ये नियम वित्तीय अनुमोदनों के लिए एक पदानुक्रमित फ्रेमवर्क स्थापित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बजट और व्यय गतिविधियां संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

बी. केंद्रीकृत आईटी आधारित लेखांकन मॉड्यूल: रिज़र्व बैंक की बजट प्रक्रिया इसके कोर बैंकिंग सोल्यूशन(सीबीएस), ई-कुबेर के माध्यम से काफी हद तक स्वचालित और केंद्रीकृत है। रिज़र्व बैंक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने, एमआईएस में सुधार और मैनुअल त्रुटियों के दायरे को कम करने के उद्देश्य से लेखांकन प्रक्रिया और सूचना प्रणाली के स्वचालन की दिशा में प्रयास कर रहा है।

सी. वार्षिक बजट अभ्यास: रिज़र्व बैंक का वार्षिक बजट केंद्रीय बोर्ड द्वारा जुलाई के महीने में अनुमोदित किया जाता है। रिज़र्व बैंक का बजट गतिविधि संचालित शून्य बजट है।

डी. वार्षिक / तिमाही बजट समीक्षा: सभी लेखा इकाइयों के व्यय की समीक्षा क्रमशः केंद्रीय बोर्ड (सीसीबी) और रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है, जहाँ महत्वपूर्ण विचलनों का विश्लेषण किया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

इ. दक्ष बजट प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए फ्रेमवर्क: रिज़र्व बैंक रेटिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखकर विभिन्न आंतरिक इकाइयों के बीच बजटीय अनुशासन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इस फ्रेमवर्क के तहत, सभी इकाइयों का बजट तैयार करने और उपयोग करने की दक्षता और प्रभावशीलता के लिए मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

7. कॉर्पोरेट सेवा विभाग

XI.66 कॉर्पोरेट सेवा विभाग (डीसीएस) का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों/ क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं के अनुसार आंतरिक कॉर्पोरेट सेवा प्रदान करना तथा उसका समन्वयन सुविधाजनक बनाना है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.67 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम (ईडीएमएस) परियोजना के संबंध में, केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा उनके मुख्य कार्य क्षेत्रों के लिए अभिलेखों के संरक्षण की अवधि निर्धारित की गई है।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.68 आगामी वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में रिज़र्व बैंक में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की कमजोरियों को संबोधित करना और मौजूदा रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करके एक संस्थागत स्मृति बनाना शामिल है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय विभागों में सभी पुराने रिकॉर्ड की पहचान और उनको नष्ट करने का कार्य जनवरी 2020 तक पूर्ण हो जाएगा। हालांकि, 10 जुलाई, 2019 के प्रशासनिक परिपत्र संख्या 1 के अनुसार कॉर्पोरेट सेवा विभाग बंद होने के कारण उपरोक्त कार्ययोजना 2019-20 डीआईटी और एचआरएमडी, केंद्रीय कार्यालय को अंतरित की गयी है।

8. राजभाषा

XI.69 वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.70 वर्ष के दौरान, 162 स्टाफ सदस्यों ने प्राज्ञ[1] परीक्षा और 189 स्टाफ सदस्यों ने पारंगत[2] परीक्षा उत्तीर्ण

[1] यह परीक्षा उनके लिए आयोजित की गई थी जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।

[2] हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतम परीक्षा।

की। कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए, स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। टिप्पण और पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक में 153 (जुलाई 2018 - जून 2019) कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें केंद्रीय कार्यालय विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशालाएं भी शामिल हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों में 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया और कई हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

XI.71 क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सीखने के लिए इस वर्ष पंजाबी में शिक्षण सामग्री तैयार की गई। अन्य दस भाषाओं (अर्थात तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, ओडिया, बांग्ला, असमिया, कोंकणी, गुजराती और मराठी) में ऐसी सामग्री पहले से ही तैयार की जा चुकी है।

प्रशिक्षण

XI.72 प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा अधिकारियों के दो बैच को प्रशिक्षण दिया गया। विधिक दस्तावेजों, वित्तीय और बैंकिंग शब्दावली के अनुवाद के संबंध में आरबीएससी में एक अनुवाद कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

XI.73 भारतीय रिज़र्व बैंक की हिंदी पत्रिका, बैंकिंग चिन्तन अनुचिंतन को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) की ओर से अपने दो लेखों के लिए रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविधिक प्रकाशन, जैसे वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक और भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के मासिक प्रकाशन भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए है और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर राजभाषा समाचार प्रकाशित किया गया। स्टाफ सदस्यों के बीच राजभाषा नीति के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए एक ई-कार्टून बुकलेट प्रकाशित की गई है।

प्रोत्साहन

XI.74 बैंकिंग पर हिन्दी में उत्कृष्ट पुस्तकें लिखने के लिए एक प्रोत्साहन योजना विद्यमान है जिसमें हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1.25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.75 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं और राजभाषा संबंधी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। नई राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली के शेष मॉड्यूलों का कार्यान्वयन भी 2019-20 के लिए कार्ययोजना में शामिल है।

9. परिसर विभाग

XI.76 रिज़र्व बैंक के भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन, अनुरक्षण और उन्नयन परिसर विभाग का दायित्व है। 2018-19 के दौरान, नई गतिविधियों की शुरुआत सहित इस दिशा में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

निर्माण परियोजनाएं

XI.77 वर्ष के दौरान ऐजवाल में जहां रिज़र्व बैंक किराए के परिसर में कार्य कर रहा है कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्रीय बोर्ड समिति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। मुंबई में सामान्य सुविधाओं सहित वरिष्ठ अधिकारियों के क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अधिकारियों को आबंटित किया गया है और चेन्नै में आंशिक रूप से

आबंटित किया गया है। नई दिल्ली तथा मुंबई; और मुंबई में केफरल के अधिकारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण प्रगति पर है।

हरित पहल

XI.78 पर्यावरण को बनाए रखने और ऊर्जा, जल और अन्य गैर-नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, सौर ऊर्जा और जल जैसे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है। क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यालय परिसरों में ग्रिड इंटरैक्टिव सौर विद्युत उत्पादन सुविधाएं संस्थापित की गई हैं और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1440 किलोवाट के स्तर तक पहुंच गई है। जल संरक्षण और उनके कुशल उपयोग के लिए रिज़र्व बैंक के विभिन्न परिसरों में वर्षा जल संचयन और सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। रिज़र्व बैंक के कई कार्यालय और आवासीय परिसरों में जैविक अपशिष्ट परिवर्तक भी स्थापित किए गए हैं।

XI.79 नए और मौजूदा भवनों को ग्रीन कंप्लायंट बनाने के लिए की गई पहलों की सराहना करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल द्वारा 'भारत में ग्रीन बिल्डिंग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सरकारी संगठन' श्रेणी के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को **"ग्रीन चैंपियन पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया।

प्रमुख नीति दिशानिर्देश

XI.80 रेट्रोफिटिंग उपायों सहित रिज़र्व बैंक के कार्यालय और आवासीय भवनों की संरचनात्मक स्थिरता और सुरक्षा के बारे में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों को कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.81 अमरावती में प्रस्तावित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देहरादून और रायपुर में नए कार्यालय भवनों का निर्माण और देहरादून में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरू होना अपेक्षित है और नई दिल्ली तथा चेन्नै में 2019-20 के दौरान क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। जम्मू में आवासीय कालोनी निर्माण की योजना बन रही है। विभाग ने उत्कर्ष 2022 के माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य और हासिल की जाने वाली उपलब्धियां निर्धारित की हैं : (ए) कम से कम वर्तमान दो आवासीय भवनों के लिए एलएबीसी/गृह से संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना, (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के समस्त परिसरों द्वारा उपयोग की जा रही बिजली का कम से कम 1.5 प्रतिशत* नवीकृत स्रोतों से (सी) कम से कम 1.25 प्रतिशत* ऊर्जा की बचत की जाए; तथा (डी) कम से कम 2.5 प्रतिशत* जल संरक्षण किया जाए/बचत की जाए।

* लक्ष्यों के लिए आधार जून 2018 तक किया गया उपभोग है।

अनुबंध

सारणी 1: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
ऊर्जित आर. पटेल*	8(1)(ए)	3	3
शक्तिकान्त दास**	8(1)(ए)	3	3
एन. एस. विश्वनाथन	8(1)(ए)	6	6
विरल वी. आचार्य	8(1)(ए)	6	6
बी.पी. कानूनगो	8(1)(ए)	6	6
एम. के. जैन	8(1)(ए)	6	6
नचिकेत एम. मोर^	8(1)(बी)	2	2
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	6	5
दिलीप एस. शंघवी	8(1)(बी)	6	5
रेवती अय्यर@	8(1)(बी)	4	4
सचिन चतुर्वेदी@	8(1)(बी)	4	4
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(सी)	6	3
भरत एन. दोशी	8(1)(सी)	6	6
सुधीर मांकड	8(1)(सी)	6	6
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	6	2
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	6	6
सतीश काशीनाथ मराठे#	8(1)(सी)	5	5
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति#	8(1)(सी)	5	5
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(डी)	6	6
राजीव कुमार	8(1)(डी)	6	4

* 11 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार त्याग दिया।

** 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया।

^ 19 सितंबर 2018 तक निदेशक।

@ 19 सितंबर 2018 से निदेशक।

7 अगस्त 2018 से निदेशक।

सारणी 2: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
ऊर्जित आर. पटेल*	8(1)(a)	19	17
शक्तिकान्त दास**	8(1)(a)	26	23
एन. एस. विश्वनाथन	8(1)(a)	45	34
विरल वी. आचार्य	8(1)(a)	45	33
बी.पी. कानूनगो	8(1)(a)	45	31
एम. के. जैन	8(1)(a)	45	35
नचिकेत एम. मोर^	8(1)(b)	4	2
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(b)	15	13
दिलीप एस. शंघवी	8(1)(b)	12	10
रेवती अय्यर@	8(1)(b)	9	7
सचिन चतुर्वेदी@	8(1)(b)	7	2
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(c)	14	4
भरत एन. दोशी	8(1)(c)	24	24
सुधीर मांकड	8(1)(c)	14	11
अशोक गुलाटी	8(1)(c)	15	7
मनीष सभरवाल	8(1)(c)	17	13
सतीश काशीनाथ मराठे#	8(1)(c)	12	9
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति#	8(1)(c)	10	1
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(d)	23	23
राजीव कुमार	8(1)(d)	2	2

* 11 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार त्याग दिया।
** 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया।
^ 19 सितंबर 2018 तक निदेशक।
@ 19 सितंबर 2018 से निदेशक।
# 7 अगस्त 2018 से निदेशक।

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
ऊर्जित आर. पटेल	अध्यक्ष	4	4
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	6	6
एन. एस. विश्वनाथन@	उपाध्यक्ष	10	10
महेश कुमार जैन#	उपाध्यक्ष	10	10
विरल वी. आचार्य	सदस्य	10	9
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	10	8
नचिकेत एम. मोर*	सदस्य	1	1
भरत एन. दोशी	सदस्य	10	9
सुधीर मांकड	सदस्य	10	6
अशोक गुलाटी	सदस्य	10	7
सतीश काशीनाथ मराठे^	सदस्य	8	8

* 19 सितंबर 2018 तक सदस्य।
^ 17 अक्तूबर 2018 से सदस्य।
@ 18 फरवरी 2019 तक उपाध्यक्ष।
# 18 फरवरी 2019 से उपाध्यक्ष।

(जारी...)

सारणी 2: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
III. भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण (बीपीएसएस) बोर्ड			
शक्तिकान्त दास*	अध्यक्ष	1	1
ऊर्जित आर. पटेल**	अध्यक्ष	1	1
बी. पी. कानूनगो	उपाध्यक्ष	2	2
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	2	1
विरल वी. आचार्य	सदस्य	2	1
एम. के.जैन**	सदस्य	2	2
नटराजन चंद्रसेकरन	सदस्य	2	2
मनीष सभरवाल	सदस्य	2	2

* 12 दिसंबर 2018 से गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया।
** 11 दिसंबर 2018 से गवर्नर के रूप में पदभार त्याग दिया।

सारणी 3: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
भरत एन. दोशी	अध्यक्ष	7	7
सुधीर मांकड	सदस्य	7	6
नचिकेत एम. मोर^	सदस्य	2	1
रेवती अय्यर	सदस्य	5	5
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	7	7
विरल वी. आचार्य	आमंत्रिती	7	7
बी. पी. कानूनगो	आमंत्रिती	7	7
एम. के. जैन	आमंत्रिती	7	7

^ 19 सितंबर 2018 तक सदस्य

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
दिलीप एस. शंघवी	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	शून्य	शून्य
III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	6	6
दिलीप एस. शंघवी	सदस्य	6	3
विरल आचार्य	सदस्य	6	6
एन. एस. विश्वनाथन	आमंत्रिती	1	1
बी. पी. कानूनगो	आमंत्रिती	1	1
एम. के. जैन	आमंत्रिती	1	1
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	4	4
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	2	2
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	4	4

सारणी 4: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3
बी. पी. कानूनगो, अध्यक्ष	2	2
अशोक गुलाटी , उत्तरी क्षेत्र	1	1
प्रसन्न कुमार मोहन्ती, दक्षिणी क्षेत्र	1	1

सारणी 5: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
नचिकेत एम. मोर, ईएएलबी^	धारा 9(1)	1	1
सचिन चतुर्वेदी, ईएएलबी	धारा 9(1)	3	3
सुनील मित्रा, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
दिलीप एस. शंघवी, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	5	5
वी. आर. भंसाली, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	5	5
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
आर. एन. दुबे, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
पी.के.मोहंती, एसएएलबी	धारा 9(1)	1	1
राकेश जैन, एसएएलबी#	धारा 9(1)	1	1

^ 13 अक्तूबर 2018 तक सदस्य।
# 11 मार्च 2019 तक सदस्य।
ईएएलबी: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
डब्लूएएलबी : पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
एसएएलबी: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।